निरमा का विधानसभा मॉक सत्र में चयन

नोखा । राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधड़ा की छात्रा निरमा का चयन राजस्थान विधानसभा के मॉक सत्र के लिए हुआ, वहीं विद्यार्थियों ने ग्रीन ग्रोथ विषयक ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा संचालित ग्रीन ग्रोथ विषयक ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता मंगलवार को पांचू में आयोजित हुई। इसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधड़ा के विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं।

प्रतियोगिता में बसु कंवर ने निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आशु भाषण प्रतियोगिता में अमित ने द्वितीय स्थान, क्विज प्रतियोगिता में वासुदेव ने द्वितीय स्थान और चित्रकला प्रतियोगिता में विमला ने तृतीय स्थान अर्जित किया।

संस्था प्रधान मोहम्मद रफीक एवं श्याम सुंदर चौधरी ने सभी विजेता विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं और आगामी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता संचालन में प्रभारी जगदीश कुमार बिश्नोई का विशेष योगदान रहा।

छात्रा निरमा 11 से 14 दिसंबर 2025 तक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेंगी। इसके बाद, वह 15 दिसंबर 2025 को विधानसभा के मॉक सत्र में बीकानेर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी।

'जनगणना 2027 के सभी कार्य अति महत्वपूर्ण, अधिकारी लापरवाही ना बरतें'

■ जनगणना 2027 की पूर्व तैयारियों को लेकर एक दिवसीय कैंप का आयोजन

बीकानेर । जनगणना 2027 की पूर्व तैयारियों के अंतर्गत तहसीलवार ग्राम सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को एक दिवसीय कैंप का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। दिन भर चले इस कैंप में भारत सरकार के गृह मंत्रालय से आई चार सदस्यीय टीम के समक्ष ग्राम सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जनगणना 2027 के सभी कार्य अति महत्वपूर्ण है। इसमें संबंधित अधिकारीगण किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय से आए उप निदेशक डॉ पुलकेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्राधिकार परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी अधिसूचनाओं को सम्मिलित करते हुए अद्यतित ग्राम सूचियों के अंतिम रूप देने में गांवों की संख्या, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिंदी व अंग्रेजी में गांवों के नाम, गांवों के क्षेत्रफल, मानचित्र इत्यादि को संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया। यह भी सुनिश्चित किया गया कि नव सृजित गांवों को संबंधित ग्राम सूची में शामिल कर लिया गया है तथा विलोपित और स्थानांतरित गांवों को संबंधित ग्राम सूची से हटा दिया गया है।

तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सूचियों को संबंधित एसडीएम और एसडीएम व तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सूचियों को जिला कलेक्टर के द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित किया गया। श्री शर्मा ने बताया कि इन सूचियों में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि नवसृजित गांव छूट ना जाए और जिन गांवों का क्षेत्राधिकार परिवर्तित हुआ है उसे उसी रूप में प्रमाणित किया गया है या नहीं। इसी प्रकार नगर सूचियां में नगर का नाम हिंदी अंग्रेजी वर्तमान क्षेत्रफल वर्तमान वार्ड संख्या को भी संबंधित चार्ज अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया।प्रत्येक तहसील से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के संबंध में संपूर्ण कवरेज का प्रमाण पत्र भी संबंधित चार्ज अधिकारी उपखंड अधिकारी के साथ जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया

उप निदेशक डॉ पुलकेश शर्मा ने बताया कि जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर -2026 तक मकान सूचीकरण और आवास गणना की जाएगी तथा द्वितीय चरण फरवरी 2027 से जनसंख्या गणना की जाएगी। खास बात ये भी कि इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जबकि 2011 में इसके लिए आईसीआर तकनीक का उपयोग किया गया था। जनगणना 2027 में स्मार्टफोन के जरिये जानकारी एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, साथी स्वयं करना साथ ही स्व गणना का विकल्प भी प्रदान किया गया है जिससे प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी हो सके।

डॉ पुलकेश शर्मा ने बताया कि 2011 की जनगणना में नागरिकों से 29 प्रकार की जानकारियां ली गई थी। जबकि जनगणना 2027 में लोगों से कुल 33 जानकारियां ली जाएंगी। इसमें नाम, भवन नम्बर जैसी सामान्य जानकारियों के अलावा कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे। इस बार समय के हिसाब से जनगणना के प्रश्नों में बदलाव किया गया है। लोगों से इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं। इंटरनेट सुविधा है या नहीं। क्या लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल स्मार्टफोन या कोई दूसरी डिवाइस यूज करते हैं। इस तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे। इसके साथ ही लोग घर पर चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का या इसके अलावा कौन सा मुख्य अनाज खाते हैं यह भी पूछा जाएगा।

इसके अलावा पेयजल का मुख्य स्रोत, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, नाली खुली हैं या पैक, खाना पकाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग होता हैं, घर में शौचालय और परिवार इस्तेमाल के लिए शौचालय हैं या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। इसके साथ ही लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि वे एससी, एसटी या अन्य किस वर्ग से आते हैं। उनके घर में सदस्यों के रहने के लिए कुल के कितने कमरे हैं। घर में कार, जीप, मोटरसाइकिल, साइकिल क्या वाहन उपलब्ध हैं। ये तमाम जानकारियां ली जाएंगी। वहीं मकान में छत, दीवार और फर्श किससे बनी हैं, यह जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी।

इस अवसर पर निगम कमिश्नर मयंक मनीष, अतिरिक्त जिला कलक्टर सुरेश कुमार यादव, गृह मंत्रालय से आए उपनिदेशक डॉ पुलकेश शर्मा, सांख्यिकी अन्वेषक प्रथम महेन्द्र कुमार मीणा, सांख्यिकी अन्वेषक योगेश बजाज, अपेक्षा जैन समेत सभी एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।

ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर 17 से

■ एसडीएम ने प्रभारी नियुक्त किए

अनूपगढ । राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार उपखंड क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलोअप कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी (एसडीएम) सुरेश राव ने बताया कि ये शिविर 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेंगे, जिनका उद्देश्य ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ उपलब्ध कराना है। शिविरों के सुचारू संचालन के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है।

एसडीएम राव के अनुसार शिविरों की रूपरेखा राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर संचालित किए गए योजनाओं के प्रचार रथ के रूटचार्ट के अनुरूप तय की गई है। प्रत्येक शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से अवगत कराएंगे।

17 दिसंबर को ग्राम पंचायत 27 ए और बांडा कॉलोनी में शिविर आयोजित किए जाएंगे। ग्राम पंचायत 27 ए के शिविर प्रभारी स्वयं एसडीएम सुरेश राव होंगे, जबकि बांडा कॉलोनी में शिविर की जिम्मेदारी तहसीलदार दिव्या चावला संभालेंगी।

18 दिसंबर को अनूपगढ़ और पतरोडा ग्राम पंचायतों में शिविर लगेंगे। अनूपगढ़ शिविर की जिम्मेदारी एसडीएम सुरेश राव के पास रहेगी, जबकि पतरोडा में प्रभारी के रूप में तहसीलदार दिव्या चावला तैनात रहेंगी।

19 दिसंबर को ग्राम पंचायत 2 पीजीएम और ग्राम पंचायत 20 एलएम में शिविर होंगे। इन दोनों स्थानों पर क्रमशः एसडीएम सुरेश राव और तहसीलदार दिव्या चावला प्रभारी की भूमिका निभाएंगे।

22 दिसंबर को चार ग्राम पंचायतों नाहरावाली, 59 जीबी रामसिंहपुर, सलेमपुरा और बांडा में फॉलोअप शिविर लगाए जाएंगे। इनमें 59 जीबी रामसिंहपुर और बांडा में शिविर संचालन की जिम्मेदारी एसडीएम सुरेश राव को सौंपी गई है, जबकि नाहरावाली और सलेमपुरा में प्रभारी के रूप में तहसीलदार दिव्या चावला नियुक्त होंगी।

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के स्कुल रिकार्ड में त्रृटिवश नाम AARADHIYA BHATI D/O RAMESH SINGH BHATI लिखा हुआ है। जबकि सही नाम ARADHIYA BHATI D/O RAMESH SINGH BHATI है। अतः भविष्य में सही नामARADHIYA BHATI D/O RAMESH SINGH BHATI नाम से जाना पहचाना जावे।
FATHER -RAMESH SINGH BHATI
MOB-6375776131

बार अध्यक्ष के लिए 4 दावेदार मैदान में

बीकानेर । बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष पद का चुनाव 12 दिसम्बर को होंगे। इसके लिए दो हजार दो सौ से ज्यादा एडवोकेट वोट देंगे। इसके लिए 5 अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पेश की, जिसमें एक ने नाम वापस ले लिया। इसके बाद चार उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। उधर, प्रचार के लिए दावेदारों ने अपने चुनाव कार्यालय बना लिए हैं और दिनभर अदालतों में प्रचार जोरों पर चल रहा है।

अध्यक्ष पद के लिए पूर्व अध्यक्ष अजय पुरोहित सहित एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा, तेज करण सिह राठौड़, सुखाराम मेघवाल एवं सकिना बानो ने उम्मीदवारी पेश की है। बुधवार को दोपहर दो बजे तक उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी। जिसमें एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा ने अपना नामांकन विदड्रा कर लिया। अब अध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशी मैदान में है। चुनाव कमेटी के अनुसार बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद चुनाव 2025-26 हेतु कुल मतदाता 2296 अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उक्त मतदाता सूचि आज दिनांक 10.12.2025 को सांय 4.00 बजे बाद प्रकाशित कर दी गई है, इसी अन्तिम मतदाता सूची के अनुसार ही दिनांक 12.12.2025 को मतदान होगा। मतदान बारह दिसम्बर को सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक होगा।

इसी दिन दोपहर 1.30 बजे से सांय 4.30 बजे तक वोटिंग का समय रहेगा। दोपहर 1.00 बजे से 1.30 बजे तक मतदान में लंच का समय रखा है। मतदान स्थल-पुराना बार रूम रहेगा जिसमें मतदाताओं की सुविधाओं के लिए दो प्रवेश द्वार रखे गये हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत बुधरवाली
पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) 335062
क्रमांक :197 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक :10-12-2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की ग्राम पंचायत बुधरवाली की पंचायत बैठक दिनाक 20-11-2025 में प्राथी गुरविन्द्र सिंह बराड पुत्र श्री कुलवंत सिंह जाति जटसिख साकिन फतहेसिंहवाला ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है की हरबन्स सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह जाति जटसिख साकिन फतहेसिंहवाला के नाम चक 3 BNW खाता संख्या 70/69 में 8.855 नहरी रकबा दर्ज है जिसकी वसीयत गुरविन्द्र सिंह बराड पुत्र श्री कुलवंत सिंह जाति जटसिख साकिन फतहेसिंहवाला के नाम से की गयी है वसीयत कर्ता हरबन्स सिंह की मृत्यु दिनाक 08-02-2005 को हो चुकी है वसीयत मुताबिक इंतकाल की कार्यवाही ग्रा.प. बुधरवाली में विचारधीन है अतः वसीयत पर किसी को कोई आपत्ति हो तो सबुत सहित दिनाक 22-12-2025 तक कार्यालय ग्रा.प. बुधरवाली में पेश करे अन्यथा ग्रा.प. द्वारा इंतकाल दर्ज कर दिया जाएगा।

- बलजिन्द्र कौर, प्रशासक, ग्राम पंचायत बुधरवाली
पं.स. सादुलशहर (श्रीगंगानगर)

कार्यालय ग्राम पंचायत बुधरवाली
पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) 335062
क्रमांक :198 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक :10-12-2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की ग्राम पंचायत बुधरवाली की पंचायत बैठक दिनाक 08-12-2025 में प्राथी कमलजीत सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति जटसिख साकिन फतहेसिंहवाला ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है की महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बोगा सिंह जाति जटसिख साकिन फतहेसिंहवाला के नाम चक 3 BNW खाता संख्या 43/43 में 8.096 नहरी रकबा दर्ज है जिसकी वसीयत कमलजीत सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति जटसिख साकिन फतहेसिंहवाला के नाम से की गयी है वसीयत कर्ता महेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनाक 20-12-1997 को हो चुकी है वसीयत मुताबिक इंतकाल की कार्यवाही ग्रा.प. बुधरवाली में विचारधीन है अतः वसीयत पर किसी को कोई आपत्ति हो तो सबुत सहित दिनाक 22-12-2025 तक कार्यालय ग्रा.प. बुधरवाली में पेश करे अन्यथा ग्रा.प. द्वारा इंतकाल दर्ज कर दिया जाएगा ।

- बलजिन्द्र कौर, प्रशासक, ग्राम पंचायत बुधरवाली
पं.स. सादुलशहर (श्रीगंगानगर)

गवर्नमेंट कॉलेज में 'झंकार' महोत्सव का आगाज

■ पहले दिन गायन प्रतियोगिताएं हुई, विजेताओं को प्रमाण-पत्र मिले

सूरतगढ़। यहां गवर्नमेंट कॉलेज में गुरुवार को सत्र 2025-26 के वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव 'झंकार' का शुभारंभ हुआ। प्रिंसिपल डॉ. कमलजीत सिंह ने मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया।

डॉ. सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि किताबी ज्ञान के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महोत्सव के पहले दिन एकल गायन और समूह गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कॉलेज सभागार में छात्र-छात्राओं ने अपनी सुरीली आवाजों से माहौल को भक्तिमय और संगीतमय बना दिया। सैकड़ों विद्यार्थी और शिक्षक दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। वरिष्ठ संगीतकार लक्ष्मी देवी नंदा, लक्ष्मी नारायण पारीक और डॉ. अर्चना तंवर ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। प्रथम स्थान तमन्ना (सेमेस्टर-5), द्वितीय स्थान सानिया (बीए प्रथम सेमेस्टर) और तृतीय स्थान निशा (बीए तृतीय सेमेस्टर) ने प्राप्त किया। समूह गायन में समूह-2 (रिंटू, निशा, ज्योत्सना, सानिया) और समूह-3 संयुक्त रूप से प्रथम रहे। द्वितीय स्थान समूह-1 (अर्चना, कमलेश, शिवाली) को मिला, जबकि तृतीय स्थान समूह-4 (प्रवीण व दीक्षा) ने हासिल किया। प्राचार्य और निर्णायकों ने विजेताओं को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन मनीष गोदारा ने किया। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार 'झंकार' महोत्सव के तहत शुक्रवार, 12 दिसंबर को स्टैंड-अप कॉमेडी और शॉर्ट वीडियो/लघु फिल्म प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

आरओबी में अड़चन, दो संपत्ति मालिकों ने नहीं कराया सर्वे

बीकानेर । कोटगेट और सांखला फाटक पर बनने वाले आरयूबी पर पहली बार दो जमीन मालिकों ने परेशानी खड़ी करनी शुरू कर दी है। ये दोनों ही सांखला फाटक के बीच आ रहे हैं। ये अड़चन बांड सांखला फाटक पर आ रहा है। बांड से पहले जो सर्वे होता है वो दोनों फाटकों के बीच आने वाले 35 संस्थानों में से 33 ने करा लिया मगर सांखला फाटक के दो संस्थानों ने सर्वे कराने से इनकार कर दिया।

बीकानेर शहर के बीचोंबीच कोटगेट पर दो रेलवे क्रॉसिंग हैं जो रोजाना 24 घंटे में 60 बार बंद होते हैं। लोगों को घंटों खड़े रहकर क्रॉसिंग खुलने का इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद भी जाम लग जाता है। इसके समाधान के लिए सांखला फाटक अंडरपास और कोटगेट पर आरयूबी बनने हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए 35 करोड़ रुपए का बजट भी दे रखा है।

पीडब्ल्यूडी ने इसके टेंडर भी कर दिए। पहले तो दो सालों से इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम ही शुरू नहीं हो पाया है। अब काम तेजी से शुरू हुआ। दोनों जगह भूमि मालिक चिह्नित कर लिए गए। आपत्तियां भी मांग ली गईं। अब बांड भरने हैं लेकिन बांड से पहले पीडब्ल्यूडी का एक आखिरी सर्वे करके फाइल बीडीए को सौंप देगा। बीडीए उस सर्वे के हिसाब से बांड भरकर मुआवजा देगा। कोटगेट पर आने वाली करीब 12 संपत्तियों का सर्वे पूरा हो गया।

वहां कोई अड़चन नहीं आई। सांखला पर भी 23 में से 21 संपत्तियों का सर्वे हो गया मगर दो संस्थानों ने सर्वे कराने से इनकार कर दिया। इसकी रिपोर्ट जब बीडीए के पास पहुंची तो बीडीए इसे जनहित के खिलाफ माना। बीडीए उन दो संपत्तियों का पुलिस बल पर सर्वे कराने का विचार कर रहा है। एक दिन पहले संभागीय आयुक्त ने भी इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। क्योंकि ये बजट घोषणा है। पहले कांग्रेस सरकार ने की थी और बाद में बीजेपी सरकार ने। इसलिए पूरा प्रशासन इसे शुरू कराना चाहता है।

सांखला फाटक पर अंडरपास के लिए 23 संपत्तियों का अधिग्रहण होगा। इसके लिए संपत्ति मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। आरयूबी के लिए चिह्नित संपत्तियों में से एक रेलवे क्रॉसिंग के पास बनी प्याऊ भी शामिल है जो सरकारी जमीन पर है। सांखला फाटक पर संपत्तियां 23 हैं, लेकिन मूल रूप से उनके 5 मालिक हैं जिन्होंने दुकानें किराये पर दे रखी हैं। इसलिए यहां मूल मालिक और किरायेदार दोनों को ध्यान में रखते हुए सर्वे किया गया है।

फाइनेंस कर्मचारियों का एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन

सूरतगढ़ । यहां विभिन्न बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कर्मचारियों ने गुरुवार को उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया।

उन्होंने एसडीएम भरत जयप्रकाश मीणा को एक शिकायत-पत्र सौंपकर सामाजिक कार्यकर्ता राकेश बिश्नोई और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सामाजिक कार्यकर्ता राकेश बिश्नोई अपने साथियों और एक कथित सोशल मीडिया पत्रकार के साथ मिलकर बैंक व फाइनेंस कंपनियों के कार्यालयों में घुस जाते हैं। वहां वे कर्मचारियों को धमकाते हैं, गाली-गलौज करते हैं और मारपीट भी करते हैं।

10 दिसंबर को भी राकेश बिश्नोई ने आवास फाइनेंस लिमिटेड के एक कर्मचारी के साथ अभद्रता की, मारपीट की और उसे धमकियां दीं। कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि बिश्नोई लगातार सभी बैंकों में जाकर 'आग लगा दूंगा' जैसी धमकियां देते हैं और फिर फेसबुक व यूट्यूब पर झूठे वीडियो डालकर उनकी तथा संबंधित संस्थाओं की छवि खराब करते हैं। शिकायत में कहा गया है कि सभी वित्तीय संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक और कानून के दायरे में काम करती हैं। कर्मचारियों ने एसडीएम से मांग की कि 'गरीबों की मदद' के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर अंकुश लगाया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उनके व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहे कार्यालयों में किसी प्रकार की जनहानि या मानहानि होती है, तो उसके लिए राकेश बिश्नोई और उनके साथी जिम्मेदार होंगे।

प्रारूप-10 [नियम 6 (7) देखिए]
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़
क्रमांक: 921 लोक सूचना दिनांक : 11.12.2025
श्रीमती बलवीरी बाई पत्नी श्री सरदाराराम निवासी डबलीवास मोलवी ह. व जिला हनुमानगढ़ कि नीचे अधिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिभूति अधिकारों के निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि स्थान	क्षेत्र
तहसील सूरतगढ़	कस्बा सूरतगढ़	खसरा सं. 243/10/1 में 0.811 हैक्टेयर (दक्षिणी पश्चा) व खसरा सं. 544/243/1 में 0.543 हैक्टेयर (दक्षिणी पूर्वी पश्चा) खसरा नं. 243/10 में 0.371 हैक्टेयर (दक्षिणी पश्चा) हैक्टेयर खसरा सं. 243/13 में 0.089 (दक्षिण-पश्चिम पश्चा) ख.सं. 544/243 में 0.184 (पश्चिम पश्चा)	1.998 बनि 19980 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिभूति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिभूति अधिकारों के निर्धारण पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11.12.25 को जारी की गयी। -प्राधिकारी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़

प्रारूप-10 [नियम 6 (7) देखिए]
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़
क्रमांक: 926 लोक सूचना दिनांक : 11.12.2025
श्री बृजलाल पुत्र श्री कुलदीपचन्द जाति बाजीगर निवासी 2 के एसपी टिब्बी तहसील जिला हनुमानगढ़ कि नीचे अधिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिभूति अधिकारों के निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि स्थान	क्षेत्र
तहसील सूरतगढ़	कस्बा सूरतगढ़	खाता सं. 216/73 खसरा नं. 243/10/1 में 1.025 हैक्टेयर (मध्य पाखा) व खसरा नं. 544/243/1 में 0.773 हैक्टेयर (उत्तरी पासा)	1.798 बनि 17980 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिभूति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिभूति अधिकारों के निर्धारण पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11.12.25 को जारी की गयी। -प्राधिकारी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़

प्रारूप-10 [नियम 6 (7) देखिए]
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़
क्रमांक: 931 लोक सूचना दिनांक : 11.12.2025
श्री सरदाराराम पुत्र श्री पहलवान राम निवासी डबलीवास मोलवी हनुमानगढ़ कि नीचे अधिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिभूति अधिकारों के निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि स्थान	क्षेत्र
तहसील सूरतगढ़	कस्बा सूरतगढ़	खसरा सं. 243/10 में 0.186 हैक्टेयर (दक्षिण-पूर्वी पासा) व खसरा नं. 243/13 में 0.847 हैक्टेयर (दक्षिण-पूर्वी पासा) खसरा नं. 544/243 में 0.663 हैक्टेयर (दक्षिणी पूर्वी पासा)	1.696 बनि 16960 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिभूति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिभूति अधिकारों के निर्धारण पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11.12.25 को जारी की गयी। -प्राधिकारी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़

बीडीओ विनोद रैगर के निर्दोष होने के बावजूद एपीओ आदेश करना पड़ा महंगा

श्रीगंगानगर। यहां अनूपगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी (बीडीओ) को दो पंचायतों के प्रशासकों व अन्य लोगों की मांग पर आनन-फानन में एपीओ करने के आदेश जारी करना पंचायत राज विभाग को महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने एपीओ आदेश पर स्थगन जारी कर जवाब मांगा तो पंचायत राज विभाग ने संबंधित आदेश ही वापस ले लिया। हुआ यूं की अनूपगढ़ पंचायत समिति के बीडीओ विनोद रैगर को हटाने की मांग को लेकर दो पंचायतों के प्रशासकों सहित 8 लोग पानी की टंकियों पर चढ़ गए थे। इसके बाद पंचायत राज विभाग की ओर से आनन-फानन में बीडीओ को एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए गए। जबकि कलेक्टर की ओर से करवाई गई जांच में बीडीओ निर्दोष थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में एपीओ आदेश पर स्थगन जारी करते हुए विभाग के सचिव व उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव द्वितीय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बाद बुधवार को पंचायत राज विभाग ने जारी किया गया एपीओ आदेश प्रत्याहरित कर लिया है।

इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से 27 नवंबर को एपीओ आदेश पर स्थगन जारी करने के बाद बीडीओ विनोद रैगर ने 28 नवंबर को ही अनूपगढ़ पंचायत समिति में पदभार संभाल लिया था। अब वे अनूपगढ़ में नियमित रूप से विकास अधिकारी के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर से बीडीओ को हटाने की मांग को लेकर वाटरवर्क्स की पानी की टंकियों पर चढ़ने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। संबंधित पुलिस थानों में संबंधित विभाग की ओर से इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। साथ ही इन लोगों को वसूली के लिए नोटिस भी जारी किए हैं।

यहा अनूपगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी विनोद रैगर पर 7 नवंबर को पंचायत समिति क्षेत्र की कई पंचायतों के प्रशासकों ने चरित्रहीनता व भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए पंचायत समिति परिसर में ही धरना शुरू करते हुए पंचायतीराज मंत्री, कलेक्टर व जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन देकर बीडीओ को पंचायत समिति अनूपगढ़ से हटाने की मांग की। कलेक्टर ने इस मामले में सूरतगढ़ एडीएम व एसीईओ जिला परिषद श्रीगंगानगर को कमेटी में शामिल करते हुए इस मामले की जांच करवाई। जांच में बीडीओ को निर्दोष पाया गया।

बीडीओ के निदोष होने के संबंध में कलेक्टर ने रिपोर्ट पंचायत राज विभाग को भेज दी। इसके बावजूद 25 नवंबर को अनूपगढ़ क्षेत्र की दो पंचायतों के प्रशासकों सहित आठ लोग पानी की टंकियों पर चढ़ गए तथा बीडीओ को हटाने की मांग करने लगे। पंचायत राज विभाग के उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव द्वितीय ने आनन-फानन में अनूपगढ़ बीडीओ रैगर के एपीओ आदेश जारी कर मुख्यालय जयपुर में उपस्थिति देने के निर्देश दिए। बीडीओ ने विभाग के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर की। हाईकोर्ट ने बीडीओ को निर्दोष होने के बावजूद एपीओ करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इस आदेश पर 27 नवंबर को स्थगन आदेश जारी करते हुए पंचायत राज विभाग के सचिव व उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव द्वितीय राम नारायण बड़गुजर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

'जल संरक्षण हम सब का कर्तव्य'

बीकानेर । जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि जल संरक्षण हम सब का कर्तव्य है। इसके लिए हमें सतत प्रयास करना होगा। श्रीमती वृष्णि गुरुवार को रविंद्र रंगमंच पर संभाग स्तरीय वाटरशैड महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहीं थी।

उन्होंने जल संरक्षण के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए इस तरह के कार्यक्रमों को वातावरण निर्माण के लिए आवश्यक बताया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा नववर्ष कैलेण्डर का विमोचन किया गया तथा लाभार्थी संवाद आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में जलग्रहण विकास से संबंधित विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई तथा वर्तमान राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यों का प्रचार-प्रसार किया गया। जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया ।

कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। कार्यक्रम में जयपुर से आए मुख्य वक्ता जलग्रहण विकास